



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत)

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

छठवाँ तल, शक्ति भवन विस्तार,

14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

दूरभाष : 0522-2288656

cehydelpcl@gmail.com

फैक्स : 0522-2288655

पत्रांक : /अ-2/मु०अ०(ज०वि०)

दिनांक : /10/2015

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-3(7) तथा उ०प्र० सरकारी सेवक वरिष्ठता (तृतीय संशोधन) अधिनियम-2007 द्वारा निविष्ट नियम-8(क) को मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2012 में Ultra Vires घोषित किये जाने के फलस्वरूप, उ०प्र० शासन के आदेश संख्या-8/4/1/2002 टी०सी०-1का-2015 दिनांक 21.08.2015 के अनुक्रम में निर्गत कारपोरेशन आदेश सं०-60-विनियम एवं काविनी/पाकालि, दिनांक 21.08.2015 में निहित प्राविधानों के दृष्टिगत, उक्त आरक्षण की धारा 3(7) का लाभ प्राप्त कर पूर्व में अवर अभियन्ता (सा०श्रे०), विद्युत एवं यांत्रिक के पद पर प्रोन्नत पाये टी०जी०-2/टी०जी०-2 (ला०)/टी०जी०-1/एस०एस०ओ० को इस कार्यालय के ज्ञापन संख्या 1430/अ-2/मु०अ०(ज०वि०) दिनांक 08.09.2015 द्वारा भूतलक्षीय प्रभाव से टी०जी०-2/टी०जी०-2 (ला०)/टी०जी०-1/एस०एस०ओ० के पद पर पदावनत कर दिया गया है। तत्क्रम में उन्हें स्तम्भ-6 में उल्लिखित तिथि से अवर अभियन्ता (सा०श्रे०), विद्युत एवं यांत्रिक के पद पर चयनित मानते हुए प्रोन्नत एवं पुनर्स्थापित किया जाता है। यह भी आदेशित किया जाता है कि इन अवर अभियन्ताओं की ज्येष्ठता वर्ष 2013 में चयनित सामान्य वर्ग के अन्तिम अवर अभियन्ता के ठीक नीचे पुनर्संज्जित होगी।

क्र० सं०	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	धारा 3(7) का लाभ समाप्त करने के फलस्वरूप पदावनति के उपरान्त धारित पद का नाम	दिनांक 20.06.2013 से धारित पद का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्याम लाल	बच्चू लाल	20/06/1956	टी०जी०-2	अवर अभियन्ता
2	प्रेम चन्द्र	सहदेव	07/02/1956	टी०जी०-2	अवर अभियन्ता
3	जगरूप	डेबर	04/01/1958	टी०जी०-2	अवर अभियन्ता
4	बाबूलाल	दसम्मी	20/05/1970	टी०जी०-2	अवर अभियन्ता

उक्त क्रम संख्या 01 से 04 तक की सूची पारस्परिक ज्येष्ठता के अनुसार नहीं है।

मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत)

संख्या 17/10/अ-2/तददिनांक/15/10/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक (का० प्रब० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल वि०वि०नि०लि०, वाराणसी/आगरा/मेरठ/लखनऊ/केस्को, कानपुर/ट्रांस्को को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अवर अभियन्ताओं की तैनाती, उनकी पदावनति से पूर्व की तैनाती के डिस्काम/ट्रांस्को के स्तर से स्थानान्तरण नीति 2015 के अनुसार की जायेगी।
- सचिव, विद्युत सेवा आयोग, लखनऊ।
- अधीक्षण अभियन्ता (यूनीफाइड) शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह उपरोक्त आदेश को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर शीघ्र अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(बसन्त राम)

वैयक्तिक सहायक-षष्ठम

कृते मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत)